राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/2979 दिनांक : 20/8/19

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और **नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के निर्वाचनों** के शुद्व एवं सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों की सूची विहित करने और प्रतीकों के आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 तथा 78 एवं 78A के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ</u> –
   (1) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन प्रतीक (अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु सूची और आवंटन) आदेश, 2019 है,
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है तथा यह नगरपालिकाओं के अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और
   (3) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. <u>परिभाषाए</u> – इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
   (i) "सविरोध निर्वाचन" से नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;
   (ii) "निर्वाचन" से नगरपालिका के अध्यक्षीय पद के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
   (iii) "प्ररूप ग" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ग" अभिप्रेत है;
   (iv) "प्ररूप घ" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "घ" अभिप्रेत है;
   (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड़ अभिप्रेत है;
   (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
   (vii) "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
   (viii) "नियम" से राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम अभिप्रेत है;
   (ix) "सारणी–1" से इस आदेश के संलग्न सारणी–1 अभिप्रेत है;
   (x) "सारणी–2" से इस आदेश के सलंग्न सारणी–2 से अभिप्रेत है;
   (xi) "अध्यक्ष" से किसी नगरपालिका मण्डल का अध्यक्ष, नगरपरिषद् का सभापति और नगर निगम का मेयर अभिप्रेत है; और

Scanned by CamScanner

(xii) जो शब्द ओर पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट किये गये हैं।

3. **निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन** – निर्वाचन लडने वाले अभ्यार्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा तथा किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन में भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न–भिन्न प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

4. **निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण** –

(1) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित हैं अथवा मुक्त।

(2) आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी–1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

5. **दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन** –

(1) सारणी–1 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।

(2) सारणी–1 के स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।

6. **कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जायेगा** – कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :–

(क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,

(ख) संबंधित राजनैतिक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाई के प्रमुख या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित **प्ररूप 'घ'** में इस आशय की लिखित सूचना **नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक को 3 बजे अपरान्ह तक** रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,

(ग) यदि राजनैतिक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाई के प्रमुख द्वारा नियम 12 के उपनियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर **प्ररूप 'ग'** में रिटर्निंग अधिकारी को **नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक के अपरान्ह 3.00 बजे तक** उपलब्ध करा दिये गये हों, और

(घ) **प्ररूप 'ग' और प्ररूप 'घ'** पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

Scanned by CamScanner

स्पष्टीकरण–1 इस खण्ड़ के उप खण्ड़ (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के प्रमुख से अभिप्रेत दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहां दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहां सचिव से है।

स्पष्टीकरण–2 राजनैतिक दलों द्वारा उनके दल की राज्य ईकाई के प्रमुख के हस्ताक्षर निर्वाचन की लोकसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व आयोग को उपलब्ध कराए जायेंगे। आयोग द्वारा उक्त नमूने के हस्ताक्षर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्फत प्रेषित किए जायेंगे।

स्पष्टीकरण–3 प्ररूप 'ग' और, यथास्थिति, प्ररूप 'घ' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्पों के हस्ताक्षर है तो उन्हें नहीं माना जायेगा तथा फैक्स/ई–मेल/व्हाट्सअप इत्यादि द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. <u>दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी (Substitute Candidate) –</u>

(1) प्ररूप 'घ' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) जिसका नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा में खारिज नहीं किया गया हो एवं उसके द्वारा अभ्यर्थिता वापस नहीं ली गई हो, को उस दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा जबकि उस दल के अनुमोदित उम्मीदवार का नाम निर्देशन–पत्र को नियम–13 के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या उसने अपनी अभ्यर्थिता नियम–16 के अन्तर्गत वापस ले ली हों।

(2) ऐसी स्थिति में जहाँ दल के अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'घ' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) का नामनिर्देशन–पत्र भी स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक इस आदेश के खण्ड़ 11 के अनुसार आवंटित किया जायेगा।

8. <u>दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना</u> – यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया हैं तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'घ' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और दल के अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'घ' इस आदेश के खण्ड़ 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'घ' भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते हैं और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'घ' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्र सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खडे नहीं किये गये हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
Scanned by CamScanner

9. **विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीकों के चयन व आवंटन पर निषेध** – जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खडे नहीं किये गये हों, उन्हें नगरपालिका अध्यक्ष के निर्वाचन में संलग्न सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित रूचि को ध्यान में रखा जायेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन–पत्रों में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. **प्रथम नाम निर्देशन–पत्र में चुने गये प्रतीकों पर विचार किया जाना** – अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामनिर्देशन–पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा, भले ही वह नामनिर्देशन–पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज क्यों न हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बाद के किसी नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित (Mentioned) प्रतीकों को विचार में नहीं लिया जायेगा ;

परन्तु किसी दल द्वारा खडे किये अभ्यर्थी के प्रकरण में ऐसे नामनिर्देशन पत्र, जिसमे अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा खड़ा किया जाने की घोषणा की हो, में दर्शाये गये दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जायेगा, भले ही ऐसा नाम निर्देशन पत्र प्रथम नहीं हो;

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न–भिन्न नामनिर्देशन पत्रों में भिन्न–भिन्न दलों द्वारा स्वयं को खड़ा किया जाने की घोषणा इस अधिसूचना के खण्ड 6(क) के अन्तर्गत की है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र, जिसमें दर्शाये गये दल ने खण्ड 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अभ्यर्थी का मनोनयन किया है, पर विचार किया जायेगा और यदि अभ्यर्थी का एक से अधिक दलों ने खण्ड 6 के अंतर्गत नोटिस द्वारा मनोनयन किया है तो ऐसे नामनिर्देशन पत्रों में पश्चात्वर्ती नामनिर्देशन पत्र में की गयी घोषणा पर ही विचार किया जायेगा तथा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन पत्रों में की गयी घोषणाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– 1. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को किसी दल द्वारा खड़ा किये जाने की घोषणा की है, साथ ही मुक्त निर्वाचन प्रतीकों का भी चयन किया है और अभ्यर्थी को दल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब उक्त प्रथम नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये मुक्त प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जहाँ अभ्यर्थी ने किसी दल द्वारा खडे किये जाने की उम्मीद में प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा खड़ा किया जाना घोषित किया है, लेकिन निर्वाचन प्रतीकों का चयन नहीं किया है और दल ने उसे अनुमोदित नहीं किया है तो द्वितीय नाम निर्देशन पत्र में उल्लिखित निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रथम माना जायेगा। यदि द्वितीय और तृतीय नाम निर्देशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा खड़े किये जाने की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो चतुर्थ नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो खण्ड 11 के अन्तर्गत मुक्त प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

Scanned by CamScanner

11. <u>अन्य अभ्यर्थियों (निर्दलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीकों का आवंटन</u> – ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें किसी दल ने खड़ा नहीं किया है, उनके प्रथम नामनिर्देशन पत्र में अंकित प्राथमिकता के आधार पर सारणी–2 में से निम्नानुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा :–

(क) यदि रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह प्रतीक उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,

(ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूचि की प्रथम वरीयता पर रखा हो तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लॉट' (Lot) द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट (Lot) निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। लॉट (Lot) निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,

(ग) रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि की द्वितीय वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त के अनुसार किया जायेगा।

(घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि की तृतीय वरीयता पर उल्लिखित निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और

(ङ.) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रूचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रूचि ही न दी हो तो उसे सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णक्रमानुसार चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

12. <u>निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय एवं उनका पुनरीक्षण</u> :– रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी को किसी प्रतीक को आवंटन अंतिम होगा सिवाय वहां के जहाँ वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये निदेशों से असंगत है, उस स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से पुनरीक्षित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

13. <u>अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति</u> – राज्य निर्वाचन आयोग,–

(क) इस आदेश के उपबन्धों मे से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आबंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निबधि तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

Scanned by CamScanner

सारणी–1
(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल जिसके लिये आरक्षित है	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल कॉंग्रेस	पुष्प और तृण
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बाल और हँसिया
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौडा, हँसिया और सितारा
6.	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस	हाथ
7.	नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी	घड़ी

सारणी–2
(नगरपालिका अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची)

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	बिजली का खंभा	21.	चिमटा
2.	मोतियों का हार	22.	अंगूर
3.	दूरबीन	23.	चाय छलनी
4.	ट्यूब लाइट	24.	चूडियाँ
5.	बाँसुरी	25.	लिफाफा
6.	हाथ गाड़ी	26.	तरबूज
7.	कड़ाही	27.	फव्वारा
8.	चाबी	28.	ईंटें
9.	लैपटॉप	29.	ब्लैक बोर्ड
10.	माईक	30.	बक्सा
11.	मिक्सी	31.	डिश एंटिना
12.	टायर	32.	कान की बालियाँ
13.	कुआँ	33.	माचिस की डिब्बी
14.	रेफ्रिजरेटर	34.	गले की टाई
15.	रोड रोलर	35.	झूला
16.	पानी का जहाज	36.	टी.वी. रिमोट
17.	ट्रैक्टर चलाता किसान	37.	ऊन व सिलाई
18.	साबुनदानी	38.	फोन चार्जर
19.	सोफा	39.	तुरहा बजाता आदमी
20.	ट्रक	40.	शटर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

Scanned by CamScanner

प्ररूप – 'ग'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/2979 दिनांक 20-8-19 का खण्ड 6)

प्रेषिति–

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका ....

विषयः– नगरपालिका अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन– उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)/नपा/रानिआ/14/2979 दिनांक 20-8-19 के खण्ड (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता/करती हूँ कि ऊपर उद्धृत निर्वाचन में दल द्वारा खडे किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये .... (दल का नाम), जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :–

सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	नगरपालिका का नाम जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
1.	2.	3.
1. 2. 3.		

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :–

1. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर
   (1) .... (2) .... (3) ....

2. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर
   (1) .... (2) .... (3) ....

3. श्री .... के नमूना हस्ताक्षर
   (1) .... (2) .... (3) ....

भवदीय,

स्थानः ....
दिनांक ....

अध्यक्ष/दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोहर सहित

नोटः– 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह तक रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर अथवा रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. फैक्स/ई–मेल/व्हाट्सअप इत्यादि से भेजा गया प्ररूप मान्य नहीं होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

Scanned by CamScanner

प्ररूप—'घ'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना
(नगरपालिका अध्यक्षीय पद के लिए निर्वाचन)
(देखिए अधिसूचना संख्या एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/14/2979 दिनांक 20-8-19 का खण्ड 6)

प्रेषितः—

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका ——————————

विषय :— **नगरपालिका अध्यक्षीय पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार खडे करना ।**

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/2014/2979 दिनांक 20-8-19 के खण्ड (6) के अनुसरण में.. (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, ने निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर उद्धृत निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में खडा किया है । मैं उक्त दल की ओर से एतद्द्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे :—

1.(i) स्तम्भ 2 से 4 में दिया गया है उक्त दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और

(ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तम्भ 5 से 7 में वर्णित है, दल का प्रतिस्थानी अभ्यर्थी है, जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन—पत्र की संवीक्षा में खारिज किये जाने अथवा उसके अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है :—

नगर—पालिका का नाम	वार्ड संख्या	अनुमोदित उम्मीदवार का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के*पिता/माता/पति का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार का डाक का पता	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का नाम (जो अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन—पत्र को संवीक्षा में रद्द कर दिये जाने/अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के*पिता/माता/पति का नाम	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के डाक का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2. प्ररूप 'घ' में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... दल के प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एतद्द्वारा विखंडित की जाती है।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान
Scanned by CamScanner

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य है उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत् शामिल है।

भवदीय,

स्थानः ....

दिनांकः ....

अध्यक्ष/दल के प्रधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोहर सहित

नोटः– 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर अथवा रबड़ स्टाम्प आदि के माध्यम से किये गये हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेगें।
3. फैक्स/ई–मेल/व्हाट्सअप से भेजा गया प्ररूप स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. यदि लागू न हो तो प्ररूप का पैरा 2 काट दें और यदि लागू हो तो उसे उचित रूप से भरा जाना चाहिये।

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिये

आज्ञा से,

(शुचि त्यागी)
सचिव

क्रमांकः संख्या 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/2980-86 दिनांक : 20/8/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नगरपालिका, राजस्थान।
5. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई–गजट पर अपलोड़ करने एवं ई–मेल करने हेतु।
7. स्टॉर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

20.8.2019
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
Scanned by CamScanner